

P. 61

अनुपालन की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (सार्वजनिक, राजकीय, स्थानिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम को भी आवश्यक कार्यवाही करना है जो निगम द्वारा स्वीकृति के लिए आवश्यक है।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही आवश्यक निगम को सूचित करेंगे।
- (iv) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

माल खिडकी केवल आवासीय प्रयोगार्थ

पी + 1
आवासीय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आने के लिये 509 दिनांक 18/03/2019
 श्री रमेश चंद्र व्यास जी द्वारा जमानत का
 प्रमाण पत्र संख्या 2009/2009 सं. 147 अकीर
 के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में भेज
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये RS: 10551/- (अर्ध)
 जरिये रसीद संख्या 1005/7634/7693
 दिनांक 25/03/2019 को जमा करा दी है।

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर

Sunil

सहस्राध्यक्ष किया